

22/5/10

22 एनएलसी कागज वगैरह

को व केडामर - पाप कोपको डिव 2018
त्रिासिक माताककार से प्रेशा (इसी) कादेश
आज दिनांक को प्रथम से विनाये जाकर
हुआ जाकर, विपश्चित, एनएलसी विप
जानि एनएलसी रवलीन विप 2017 एनएलसी
केवल शुभान होकर, एनएलसी गीबान (ए)

अध्यक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेड)
जोधपुर

फर्द अदकाम

(नियम 26)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

वादी
दुर्गाराम

बनाम

प्रतिवादी
सन्तोकसिंह

मुकदमा 212 आर.टी.एक्ट. मुकदमा नम्बर 317 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए
------------	--------------------------------------	---

19.6.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार – 2018 केम्प कोर्ट सुरपुरा में प्रस्तुत हुई। हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 8.11.2013 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने हेतु कोई निवेदन भी नहीं किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा का एक त्वरित उपचार है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विगत 05 वर्षों से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उन्होंने किसी प्रकार का इसे प्राप्त करने हेतु प्रयास नहीं किया है विधि अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र का निस्तारण छः माह के भीतर किया जाना भी आवश्यक है। जिससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को वर्तमान में शीघ्र उपचार की कोई आवश्यकता नहीं रही हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण को भविष्य में आवश्यकता होने पर विधि अनुसार पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हों।



सहायक कलक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर